न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.), हमीरपुर।

UPHM010035982022

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1719/2022

शिवम सिंह चौहान, आयु करीब 23 वर्ष, पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम कानाखेड़ा, थाना पैलानी, जिला बांदा। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश। .....अभियोजन

14.10.2022

आवेदक/अभियुक्त **शिवम सिंह चौहान** उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना **मु.अ.सं. 69/2022, अन्तर्गत धारा 395, 412 भा.दं.सं., थाना– बिवांर, जिला हमीरपुर** के प्रकरण में दिया गया है । प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में कारागार में निरूद्ध हैं ।

आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार अमर सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार यह आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौज.) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा केस डायरी व उपलब्ध अन्य सुसंगत प्रलेखों का अवलोकन किया ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अभिषेक परिहार द्वारा दिनांक 08.04.2022 को समय 15:08 बजे थाना बिवांर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि प्रार्थी दिनांक 07.04.2022 को अपनी भाभी पूजा को लेकर मोटर साइकिल से मुस्करा से घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में समय करीब 09 बजे बिवांर बाजार से पहले राठ हमीरपुर रोड पर नहर और हरपाल सिंह कन्या महाविद्यालय के बीच पीछे से अपाचे गाड़ी व अन्य मोटर साइकिल से 03 लोगों ने अपनी मोटर साइकिलो से ओवर टेक करके रोक लिया और उसे तमंचा दिखाकर डरा दिया और उसे डराया भी और उसका मोबाइल INFNIX SMART 5A, लीड, घड़ी, चश्मा, आधारकार्ड तथा उसकी भाभी पूजा के सोने के गहने तथा भाभी की बच्ची की पायलें तथा भाभी का मोबाइल विवो छीनकर मुस्करा की तरफ भाग गये । उसने और भाभी ने एक व्यक्ति को पहचान लिया है, जिनका नाम पुष्पेन्द्र पुत्र भगत राजपूत, निवासी परा, थाना राठ, जिला हमीरपुर है । बाकी को सामने आने पर पहचान सकते हैं । उन लोगों ने भाभी का पर्स जिसमें 5000/– रूपये नगद और अंगूठी की रसीद तथा एक हैंड बैग जिसमें भाभी और बच्ची के कपड़े व कुछ कहने भी थे, उसे भी वे लोग छीनकर ले गये हैं । उपरोक्त आधार पर थाना बिवांर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसको झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। घर से पकड़कर झूंठी बरामदगी दर्शाकर फंसाया गया है। सह–अभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। वह जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई ।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(दण्ड) द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व प्रपत्रों के अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित सह–अभियुक्तगण बृजेश सोनी, दीपक रैकवार, दुर्गेश सिंह की जमानत पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त का, जो आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, वह मुकदमे विचारण स्तर पर हैं या दोषसिद्धी हो चुकी है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियुक्त को जिला कारागार हमीरपुर में निरूद्ध होना बताया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है ।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **शिवम सिंह चौहान** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1719/2022 स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा 70,000/–(सत्तर हजार रूपये) का स्वबंधपत्र एवं इसी समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 14.10.2022

(विनीत कुमार वासवानी)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.), हमीरपुर।